



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो प्रमुख

9 सितंबर, 2020

आईसीएसआई के अनुरोध पर एमसीए ने 31.03.2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की समय सीमा बढ़ाई

कोविद -19 महामारी से उत्पन्न कठिनाईओं के कारण, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने विचार किया और इस तरह के एजीएम आयोजित करने की समय सीमा नियत तारीख से 3 महीने तक के विस्तार को मंजूरी दे दी।

आईसीएसआई ने कई अभ्यावेदन किए थे और वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा औपचारिकताओं को पूरा करने में पेशेवरों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला था, जो एजीएम को बुलाने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। कोविद -19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भौतिक सत्यापन और अन्य अनुपालन का पालन करना मुश्किल हो गया था और हर कंपनी वार्षिक आम बैठक के विस्तार के लिए आवेदन नहीं कर पाई थी। इस प्रकार नियत तारीख का विस्तार समय की आवश्यकता थी।

एमसीए के इस कदम से अभिभूत, सीएसआई आशीष गर्ग, अध्यक्ष आईसीएसआई ने कहा कि "मैं अपने सभी हितधारकों की ओर से कंपनियों के एजीएम रखने की तारीख बढ़ाने के लिए हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए एमसीए के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह कदम निश्चित रूप से इंडिया इंक में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) के उद्देश्यों को बढ़ावा देगा।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu